जवाहर लाल गुप्ता और के. एस. ग्रेवाल जे. जे.

विनोद तायल-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य,-उत्तरदाता

1999 का सी. डब्ल्यू. पी. सं. 5271

15 सितंबर, 2000

भारत का संविधान, *1950*-अनुच्छेद 226-भूमि अधिग्रहण अधिनियम, *1894*-एस. *4, 6* और *9*-राज्य सरकार याचिकाकर्ता की संपत्ति पट्टे पर ले रही है।

नवीनीकृत पट्टे और एक अन्य नए पट्टे की अवधि की समाप्ति-पर भी सरकार सम्पति ख़ाली नहीं कर रही।सरकार किराए का भुगतान भी बंद कर रही है-याचिकाकर्ता को किराए का भुगतान न करने के कारण कई बेदखली आवेदन दायर करने के लिए मजबूर किया गया है-सरकार का आचरण उचित नहीं है-याचिकाकर्ता की भूमि का अधिग्रहण करने की मांग की गई है-आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन से पहले समाचार पत्रों में धारा *4* और *6* के तहत अधिसूचनाएं जारी की गई हैं-प्रतिवादीगण की कार्रवाई कानून की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है-धारा *4* और *6* के तहत अधिसूचनाएं और धारा *9* के तहत नोटिस भी रद्द कर दिए गए हैं- याचिकाकर्ता को प्रतिपूरक लागत के रूप में *1* लाख रुपए प्रदान करते समय रीट याचिका की अनुमति दी गई ।

यह निर्धारित किया गया कि यू/एस *4* अधिसूचना *16* नवंबर और *17* नवंबर, *1996* को समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई थी, यह *19* नवंबर, *1996* को राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।इसी तरह *17* मई और *20* मई, *1997* को समाचार पत्रों में यू/एस *6* अधिसूचना प्रकाशित की गई थी।इसे *27* मई, *1997* को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया गया था।यह अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप नहीं था।

*(*पैरा *15)*

इसके अलावा यह अभिनिर्धारित किया गया कि हमारे देश में सरकार अपनी फाइलों पर मामलों की विचार करती है।सरकार द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन से ही मंज़ूर होता है।तब तक, यह केवल एक प्रस्ताव है।फाइल पर निर्णय यदि औपचारिक रूप से प्रकाशित नहीं किया गया है तो किसी भी समय बदला जा सकता है।सार्वजनिक संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित मामलों में, सरकारी राजपत्र में प्रकाशन के बाद ही सरकार का निर्णय सार्वजनिक होता है।इसके बाद ही यह लागू करने योग्य बन जाता है और अधिकार प्रदान करता है या कर्तव्यों को लागू करता है।जब तक सरकार आधिकारिक राजपत्र में अपने निर्णय को प्रकाशित नहीं करती, तब तक उसके इरादे निश्चित नहीं हो सकते और आदेश को लागू नहीं किया जा सकता है।कोई भी प्राधिकरण भूमि पर प्रवेश नहीं कर सकता है।यदि फाइल पर केवल एक प्रस्ताव प्रेस में प्रकाशित किया जाता है या तो इसलिए कि इसे गुप्त रूप से लीक कर दिया गया है या यहां तक कि अन्य रूप से भी प्रकाशित किया जाता है, तो इसका कोई परिणाम नहीं होगा, क्योंकि नागरिक के पास लागू करने या पालन करने के लिए कुछ भी नहीं होगा।एक ऐसे देश में जहां प्रेस स्वतंत्र है, सरकार को किसी ऐसी चीज से बाध्य नहीं किया जा सकता है जो केवल एक समाचार पत्र के पृष्ठों पर दिखाई देती है।हालाँकि, जब सरकार के निर्णय को आधिकारिक रूप से राजपत्रित किया जाता है, तो इसे लागू किया जा सकता है।यही कारण है कि अधिनियम राजपत्र में जो प्रकाशित हुआ है, उसके प्रकाशन की अपेक्षा करता है।कानून की भाषा से इसका स्पष्ट रूप से अनुमान लगाया जा सकता है।

(पैरा 17)

इसके अलावा यह अभिनिर्धारित किया गया कि सरकारी अधिकारियों के कार्य करने के तरीके के कारण राजपत्र और समाचार पत्रों में प्रकाशन की तारीखें अलग-अलग हो सकती हैं।फिर भी, यह याद रखना होगा कि नागरिक का बहुत सीमित अधिकार है।आपत्तियाँ दर्ज करने का अवसर।यह इस अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए है कि संसद ने मौजूदा प्रावधान के संशोधन द्वारा प्रेस में प्रकाशन के लिए प्रावधान बनाया है।विधायी इरादे और बुराई में सुधार को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

(पैरा 18)

इसके अलावा, यह अभिनिर्धारित किया गया कि आक्षेपित अधिसूचनाएं धारा 4 और 6 के प्रावधानों के अनुसार प्रकाशित नहीं की गई हैं, और कानून की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं हैं। नतीजतन, ये दूषित हो जाते हैं।अतः इन्हें निरस्त कर दिया जाता है।नतीजतन, धारा 9 के तहत नोटिस जारी करके शुरू की गई आगे की कार्यवाही को कायम नहीं रखा जा सकता है, इसे भी रद्द कर दिया जाएगा।

(पैरा 21 और 22)

इसके अलावा, यह माना गया कि एक बड़ी राशि की संपत्ति को एक छोटी राशि के लिए पट्टे पर लिया गया था।नवीनीकृत पट्टे की अवधि समाप्त होने के बाद भी इसे वर्ष 1955 में खाली नहीं किया गया था।वर्ष 1960 में, मालिक को इस आधार पर पांच साल के लिए पट्टा विलेख निष्पादित करने के लिए मजबूर किया गया था कि उपायुक्त के आवास का निर्माण किया जाना था।निर्माण पूरा होने के बाद, निपटान अधिकारी को परिसर पर कब्जा करने के लिए कहा गया।छह महीने के भीतर उन्होंने इसे ख़ाली कर दिया था।फिर भी उपायुक्त ने परिसर खाली नहीं किया।इसके अलावा, किराए की प्रचलित दर रु. 86 प्रति माह का भुगतान भी याचिकाकर्ता को नहीं किया गया था।वर्ष

1989 में, जब उन्होंने कार्यवाही शुरू की, तो अधिकारियों ने सीमा के आधार पर केवल तीन साल (लगभग 20 वर्षों में से) की अवधि के लिए किराया दिया।इसके बाद याचिकाकर्ता को समय-समय पर किराए के भुगतान के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ता था।उसे स्वेच्छा से भुगतान नहीं किया गया था।स्पष्ट रूप से, राज्य ने साधारण वादी से भी बदतर तरीके से कार्य किया है ।हम राज्य के आचरण की सराहना नहीं कर सकते।यह सबसे निचले स्तर पर अनुचित और मनमाना था। यह सत्ता का दुरुपयोग था।एक सार्वजनिक प्राधिकरण सार्वजनिक भलाई के लिए कार्य करने में विफल रहा।यह एक उपयुक्त मामला है जिसमें याचिकाकर्ता को प्रतिपूरक लागत दी जानी चाहिए। हम 1 लाख रुपये की लागत का आकलन करते हैं। इसका भुगतान प्रतिवादी हरियाणा राज्य द्वारा याचिकाकर्ता को किया जाएगा।

(पैरा 23 और 25)

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सी. बी. गोयल।

प्रतिवादी के लिए डी. पी. सिंह, डी. ए. जी., हरियाणा।

निर्णय

जवाहर लाल गुप्ता *(ओ)*

- याचिकाकर्ता का आरोप है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 4 और 6 के तहत राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाएं के माध्यम से उसकी

85 कनाल 4 मरला की भूमि के अधिग्रहण के लिए कानून के तहत शक्ति का दुरुपयोग है।वह प्रार्थना करते हैं कि इन अधिसूचनाओं को रद्द कर दिया जाए।इस मामले के निर्णय के लिए प्रासंगिक कुछ तथ्यों पर संक्षेप में ध्यान दिया जा सकता है।

- कहानी वर्ष 1905 से शुरू होती है।85 कनाल 4 मरला की भूमि और उस पर एक घर सरकार द्वारा हिसार के उपायुक्त के निवास के लिए 30 साल की अवधि के लिए पट्टे पर लिया गया था।अवधि की समाप्ति पर, पट्टे को 20 साल की और अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया था।यह 31 मार्च, 1955 को समाप्त हो गया।याचिकाकर्ता के पूर्ववर्ती ने राज्य सरकार से परिसर खाली करने का अनुरोध किया।इसे खाली नहीं किया गया था।अप्रैल, 1960 से एक नया पट्टा विलेख निष्पादित किया गया था।यह पाँच साल की अवधि के लिए या उस समय तक होना था जब तक कि उपायुक्त के लिए प्रस्तावित नया घर वास्तव में नहीं बनाया गया था।इस पट्टा विलेख की एक प्रति रिट याचिका के साथ अनुलग्नक पी. 3 में है।पाँच साल की अवधि समाप्त हो गई।उपायुक्त का आवास पूरा नहीं हुआ था।8 जनवरी, 1968 को उपायुक्त ने याचिकाकर्ता के पिता से अनुरोध किया कि "पिछले पट्टा विलेख के समान नियमों और शर्तों पर घर को सरकार के साथ पट्टे पर रहने दें।"

- उपायुक्त का आवास पूरा हो गया था।फिर भी घर खाली नहीं हुआ था।शून्य दिनांकित पत्र के माध्यम से, जिसकी एक प्रति रिट याचिका के साथ अनुलग्नक पी. 6 में है, उप सचिव (राजस्व) ने सूचित किया कि "उपायुक्त के निवास के लिए नवनिर्मित बंगले को निपटान अधिकारी, हिसार के निवास के लिए निर्धारित किया गया है।इस प्रकार जब तक निपटान कार्य समाप्त नहीं हो जाता और वह नवनिर्मित घर में जाने की स्थिति में नहीं हो जाता, तब तक हिसार के उप-आयुक्त के कब्जे वाले आपके बंगले को खाली करना संभव नहीं होगा।"

- निपटान अधिकारी ने वर्ष 1968-69 में या उसके आसपास घर खाली कर दिया।लेकिन घर अभी तक खाली नहीं हुआ था।सरकार ने परिसर में पर्यटन परिसर की स्थापना की।चोट के साथ अपमान को जोड़ने के लिए, सरकार ने86 रुपये प्रति माह की मामूली राशि का भुगतान करना भी बंद कर दिया था जो भवन और भूमि के विशाल टुकड़े के लिए किराए के रूप में तय किया गया था। अगस्त, 1989 में, याचिकाकर्ता ने सितंबर, 1968 से बकाया का दावा करते हुए एक याचिका दायर की।राज्य सरकार ने तीन साल की अवधि के लिए किराए की पेशकश की।यह दलील दी गई थी कि याचिकाकर्ता तीन साल से अधिक की अवधि के लिए किराए का दावा करने का हकदार नहीं था। याचिकाकर्ता ने उचित किराया तय करने के लिए याचिका दायर की।किराया नियंत्रक ने रुपये 184 प्रति माह की राशि निर्धारित की,-उनके 1 फरवरी, 1996 के आदेश के अनुसार।

- 17 अप्रैल, 1999 को याचिकाकर्ता को धारा 9 के तहत नोटिस दिया गया था।इस प्रकार उन्हें पता चला कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 4 और 6 के तहत अधिसूचनाएं 12 नवंबर, 1996 और 30 अप्रैल, 1997 को जारी की गई थीं।इसके तुरंत बाद, उन्होंने 22 अप्रैल, 1999 को वर्तमान रिट याचिका के माध्यम से इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।याचिकाकर्ता का आरोप है कि अधिसूचनाएं बाहरी विचारों के कारण जारी की गई थीं क्योंकि उनके चचेरे भाइयों ने हमेशा राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री का विरोध किया था।उन्होंने आगे आरोप लगाया कि वे वर्ष 1965 से परिसर को ख़ाली करने के लिए आंदोलन कर रहे थे।किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जा रहा है।अधिनियम की धारा 4 और 6 के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है।इस प्रकार, धारा 9 के तहत विवादित अधिसूचनाओं और नोटिस, जिनकी प्रतियां पी. 7 से अनुलग्नक पी. 9. के रूप में रिकॉर्ड में हैं, को बनाए नहीं रखा जा सकता है।वह प्रार्थना करता है कि इन्हें रद्द कर दिया जाए।

- हिसार के उपायुक्त श्री अपूर्व कुमार सिंह द्वारा राज्य सरकार और अन्य प्रतिवादीगण की ओर से एक लिखित बयान दायर किया गया है।एक प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई है कि रिट

याचिका में देरी की गई है।हालाँकि, बहस के स्तर पर प्रतिवादीगण की ओर से इसे उठाया नहीं गया है।वास्तव में, प्रारंभिक आपत्तियों में से किसी को भी नहीं उठाया गया है।गुण-दोष पर, यह कहा गया है कि "पट्टा विलेख की समाप्ति के बाद, प्रत्यर्थी राज्य हरियाणा ने अपनी इच्छानुसार किरायेदार का दर्जा प्राप्त करना जारी रखा।याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी हरियाणा राज्य को बेदखल करने के लिए अधिनियम की धारा 13 के तहत आवेदन भी दायर किया था।किराए के भुगतान के संबंध में, यह अनुमान लगाया गया है कि "पट्टा विलेख के अनुसार ग संपत्ति का किराया 86 रुपए था लेकिन बेदखली याचिका (अनुलग्नक आर/II/टी) में याचिकाकर्ता ने परिसर के लिए किराए का दावा 149 रुपये ग्रह दर के अलावा।राज्य हरियाणा ने किराया नियंत्रक के समक्ष कानून के अनुसार स्वीकार्य पूरे देय किराए की निविदा दी थी।याचिकाकर्ता ने किराया का भुगतान न करने के आधार पर प्रतिवादी हरियाणा राज्य के खिलाफ कई बेदखली आवेदन भी दायर किए थे और प्रतिवादी हरियाणा राज्य किराया नियंत्रक, हिसार के न्यायालय में कानून के अनुसार स्वीकार्य देय किराया आदि दे रहा है।" याचिकाकर्ता के राजनीतिक पूर्वाग्रह के आरोप के संबंध में, यह कहा गया है कि "याचिका के पैरा 14 को इस जानकारी के अभाव में अस्वीकार कर दिया गया है कि श्री बलवंत राय तायल और श्री बलदेव तायल याचिकाकर्ता के रिश्तेदार/रिश्तेदार हैं।शेष पैरा को ज्ञान की कमी के कारण अस्वीकार कर दिया जाता है।याचिकाकर्ता ने श्री बलवंत राय तायल और श्री बलदेव तायल का कोई हलफनामा संलग्न नहीं किया है कि उन्होंने हमेशा मुख्यमंत्री का विरोध किया है। बंसी लाई, तत्कालीन मुख्यमंत्री, हरियाणा या उन्हें मीसा में मुख्यमंत्री के कारण हिरासत में लिया गया था। याचिकाकर्ता मुख्यमंत्री के साथ शामिल नहीं हुआ है। बंसी लाई, तत्कालीन सी. एम., हरियाणा इस याचिका के पक्षकार के रूप में जोड़ा नहीं गया और इस प्रकार इन आरोपों को इस याचिका में नहीं पढ़ा जा सकता है।" याचिकाकर्ता के इस आरोप का भी खंडन किया गया है कि उसे 17 अप्रैल, 1999 को विवादित अधिसूचनाओं के बारे में पता चला था।यह अनुमान लगाया गया है कि उन्हें अधिसूचनाओं के बारे में 4 सितंबर, 1997 को पता चला था।भूमि अधिग्रहण कलेक्टर ने कानून द्वारा आवश्यक अधिसूचनाओं का उचित प्रकाशन किया था।याचिकाकर्ता 20 अप्रैल, 1999 को भूमि अधिग्रहण कलेक्टर के समक्ष पेश हुआ था और स्थगन का अनुरोध किया था।इन पर, प्रतिवादीगण का कहना है कि रिट याचिका को खारिज कर दिया जाना चाहिए।

- याचिकाकर्ता ने लिखित बयान में किए गए कथनों का खंडन करने के लिए एक प्रतिकृति दायर की है।

- पक्षों के वकील को सुना गया है।

- यह स्वीकृत स्थिति है कि धारा 4 के तहत अधिसूचना 19 नवंबर, 1996 के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित की गई थी।यह एक स्थानीय भाषा के पत्र में भी प्रकाशित हुआ था। 16 नवंबर, 1996 को 'पंजाब केसरी'।एक दिन बाद, यह 17 नवंबर, 1996 के द ट्रिब्यून में प्रकाशित हुआ।यह घोषणा 29 जनवरी, 1997 की रिपोर्ट के माध्यम से इलाके में की गई थी, जिसकी एक प्रति लिखित बयान के साथ अनुलग्नक आर/3 के रूप में प्रस्तुत की गई है।इसी तरह, धारा 6 के तहत अधिसूचना 27 मई, 1997 के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित की गई थी।उससे लगभग 10 दिन पहले, अधिसूचना एक स्थानीय भाषा के समाचार पत्र में प्रकाशित की गई थी। 17 मई, 1997 को 'जन सत्ता'।यह 20 मई, 1997 को 'द ट्रिब्यून' में भी प्रकाशित हुआ था।यह घोषणा 26 जून, 1997 को इलाके में की गई थी।पक्षों के वकील ने इन स्वीकृत तथ्यों पर तर्क दिए हैं।

- याचिकाकर्ता की ओर से श्री सी. बी. गोयल ने कहा है कि धारा 4 और 6 के प्रावधानों का कोई अनुपालन नहीं किया गया था।विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि प्रेस में प्रकाशन राजपत्र में प्रकाशन से पहले नहीं होना चाहिए।दूसरी ओर, प्रतिवादीगण की ओर से पेश श्री डी. पी. सिंह, डी. ए. जी., हरियाणा ने तर्क दिया है कि राजपत्र में और प्रेस में भी प्रचार के लिए संचार एक साथ भेजे गए थे।अधिसूचनाएँ राजपत्र में प्रकाशित होने से पहले समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई थीं।धारा 4 और 6 की आवश्यकताओं का पर्याप्त अनुपालन किया गया है।इस प्रकार, कोई कानूनी दुर्बलता नहीं है जिससे किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता हो।

- जो छोटा सवाल उठता है वह यह है कि क्या वर्तमान मामले में धारा 4 और 6 के प्रावधानों का विधिवत पालन किया गया है?दूसरे शब्दों में, क्या प्रेस में उनके प्रकाशन के बाद राजपत्र में अधिसूचनाओं को प्रकाशित करने में प्रतिवादीगण की कार्रवाई कानून की आवश्यकता के अनुरूप है?

- धारा 4 (1) के प्रावधानों पर ध्यान दिया जा सकता है।यह निम्नानुसार प्रदान करता है:

> "4. प्रारंभिक अधिसूचना और उस पर अधिकारियों की शक्तियों का प्रकाशन-(1) जब भी उपयुक्त सरकार को यह प्रतीत होता है कि किसी इलाके में भूमि की आवश्यकता है या किसी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए या किसी कंपनी के लिए इसकी आवश्यकता होने की संभावना है, तो उस आशय की एक अधिसूचना आधिकारिक राजपत्र में और उस इलाके में प्रसारित होने वाले दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाएगी, जिनमें से कम से कम एक क्षेत्रीय भाषा में होगी और कलेक्टर ऐसी अधिसूचना के सार की सार्वजनिक सूचना उक्त इलाके में सुविधाजनक स्थानों पर देगा (ऐसी प्रकाशन की अंतिम तारीख और ऐसी सार्वजनिक सूचना देने की तारीख, जिसे इसके बाद अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख के रूप में संदर्भित किया जाता है)।"

- उपरोक्त प्रावधान के अवलोकन से पता चलता है कि जब भी सरकार यह मानती है कि किसी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किसी इलाके में भूमि की आवश्यकता है, तो उसे "आधिकारिक राजपत्र में इस आशय की एक अधिसूचना" प्रकाशित करनी होती है।उद्देश्य स्पष्ट है। सबसे पहले, सरकार को भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता के बारे में संतुष्ट होना होगा।फिर उसे न्यायिक राजपत्र में प्रकाशन द्वारा अपने इरादे को सार्वजनिक करना होगा।चूंकि राजपत्र हर घर या व्यक्ति तक नहीं पहुंच सकता है, इसलिए कानून ने शुरू में प्रावधान किया था कि अधिसूचना का सार भी इलाके में प्रकाशित किया जाएगा।अनुभव से सीखते हुए, संसद ने वर्ष 1984 में प्रावधान में एक संशोधन किया।यह प्रावधान किया गया था कि अधिसूचना "उस इलाके में प्रसारित होने वाले दो दैनिक समाचार पत्रों में भी प्रकाशित की जाएगी, जिनमें से कम से कम एक क्षेत्रीय भाषा में होगा" चीजों की योजना में, प्रेस में प्रकाशन उस अधिसूचना का है जो राजपत्र में प्रकाशित हुई है।

- धारा 6 के प्रावधान भी इसी तरह के इरादे का संकेत देते हैं।धारा 6 (1) में कहा गया है कि जब सरकार का समाधान हो जाता है कि "किसी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किसी विशेष भूमि की आवश्यकता है, तो उस आशय की घोषणा की जाएगी" खंड (2) में यह प्रावधान किया गया है कि ऐसी घोषणा "आधिकारिक राजपत्र में और उस इलाके में प्रसारित होने वाले दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाएगी जिसमें भूमि स्थित है" स्पष्ट इरादा यह है कि सरकार का निर्णय आधिकारिक राजपत्र में और दो दैनिक समाचार पत्रों में भी दिखाई देना चाहिए।वर्तमान मामले में क्या स्थिति है?

- यह विवादित नहीं है कि धारा 4 के तहत अधिसूचना 16 नवंबर और 17 नवंबर, 1996 को समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई थी।यह 19 नवंबर, 1996 को राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।इसी तरह, धारा 6 के तहत अधिसूचना का समाचार पत्र में 17 मई और 20 मई 1997 में प्रकाशित किया गया था।

इसे 27 मई, 1997 को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया गया था।हमारे विचार में, यह अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप नहीं था।

- प्रतिवादीगण के विद्वान वकील श्री डी. पी. सिंह का तर्क है कि प्रकाशन का उद्देश्य जनता को सूचित करना है।जिस क्रम में प्रकाशन किया जाता है, उसका कोई परिणाम नहीं होता है। इस प्रकार, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सरकार की मंशा पहले समाचार पत्रों में और फिर आधिकारिक राजपत्र में सार्वजनिक की जाती है या नहीं।क्या ऐसा ही है?

- हमारे देश में सरकार अपनी फाइलों के मामलों पर विचार करती है।सरकार द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन से ही मंज़ूर होता है।तब तक यह केवल एक प्रस्ताव है।फाइल पर निर्णय यदि औपचारिक रूप से प्रकाशित नहीं किया गया है तो किसी भी समय बदला जा सकता है।सार्वजनिक संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित मामलों में, सरकारी राजपत्र में प्रकाशन के बाद ही सरकार का निर्णय सार्वजनिक होता है।इसके बाद ही यह लागू करने योग्य बन जाता है और अधिकार प्रदान करता है या कर्तव्यों को लागू करता है।जब तक सरकार आधिकारिक राजपत्र में अपने निर्णय को प्रकाशित नहीं करती, तब तक उसके इरादे निश्चित नहीं हो सकते और आदेश को लागू नहीं किया जा सकता है।कोई भी प्राधिकरण भूमि पर प्रवेश नहीं कर सकता है।यदि फाइल पर केवल एक प्रस्ताव प्रेस में प्रकाशित किया जाता है या तो क्योंकि इसे गुप्त रूप से लीक किया गया है या अन्यथा भी, तो इसका कोई परिणाम नहीं होगा, क्योंकि नागरिक के पास लागू करने या पालन करने के लिए कुछ भी नहीं होगा।एक ऐसे देश में जहां प्रेस स्वतंत्र है, सरकार को किसी ऐसी चीज से बाध्य नहीं किया जा सकता है जो केवल एक समाचार पत्र के पृष्ठों पर दिखाई देती है।हालाँकि, जब सरकार के निर्णय को आधिकारिक रूप से राजपत्रित किया जाता है, तो इसे लागू किया जा सकता है।यही कारण है कि अधिनियम राजपत्र में जो प्रकाशित हुआ है, उसके प्रकाशन की अपेक्षा करता है।कानून की भाषा से इसका स्पष्ट रूप से अनुमान लगाया जा सकता है।

- यह सच है कि सरकारी अधिकारियों के कार्य करने के तरीके के कारण राजपत्र और समाचार पत्रों में प्रकाशन की तारीखें अलग-अलग हो सकती हैं।फिर भी, यह याद रखना होगा कि नागरिक का बहुत सीमित अधिकार है।आपत्तियाँ दर्ज करने का अवसर।यह इस अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए है कि संसद ने मौजूदा प्रावधान में संशोधन करके प्रेस में प्रकाशन का प्रावधान पेश किया है।विधायी इरादे और बुराई सुधार की मांग की को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

- श्री सी. बी. गोयल ने कश्मीरी लाई और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य *(1)* और राखी सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य मामले में इस न्यायालय के फैसले पर सचिव, लोक निर्माण विभाग *(*बी एंड आर*)* सिविल सचिवालय, हरियाणा, चंडीगढ़ के माध्यम से भरोसा जताया है। अन्य (2)।श्री डी. पी. सिंह ने इन निर्णयों में अंतर करने का प्रयास किया है।पहले मामले में पूर्ण पीठ के फैसले और बाद वाले मामले में एकल पीठ का अनुपात स्पष्ट रूप से याचिकाकर्ता के दावे का समर्थन करता है।

- उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम याचिकाकर्ता के पक्ष में ऊपर दिए गए प्रश्न का उत्तर देते हैं।हमारा मानना है कि विवादित अधिसूचनाएं धारा 4 और 6 के प्रावधानों के अनुसार प्रकाशित नहीं की गई हैं।

- पक्षों के वकील ने अन्य बिंदुओं पर जोर नहीं दिया है।

- ऊपर दिए गए प्रश्न पर हमारे निर्णय को देखते हुए, हम पाते हैं कि अनुलग्नक पी. 7

और पी. 8 की अधिसूचनाएं कानून की आवश्यकता के अनुरूप नहीं हैं।नतीजतन, ये दूषित हो जाते हैं।अतः इन्हें निरस्त कर दिया जाता है।नतीजतन, धारा 9 के तहत नोटिस जारी करके शुरू की गई आगे की कार्यवाही को कायम नहीं रखा जा सकता है।इन्हें भी रद्द कर दिया जाएगा।चूंकि एक अंतरिम आदेश द्वारा आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी गई थी, इसलिए कोई अधिनिर्ण्य नहीं दिया गया है।

- इससे पहले कि हम मामले से अलग हों, हम यह इंगित करने के लिए विवश महसूस करते हैं कि राज्य के आचरण ने हमें एक सुखद भावना के साथ नहीं छोड़ा है।यह एक स्वीकृत स्थिति है कि एक बड़ी राशि की संपत्ति को एक छोटी राशि के लिए पट्टे पर लिया गया था।नवीनीकृत पट्टे की अवधि समाप्त होने के बाद भी इसे वर्ष 1955 में खाली नहीं किया गया था।वर्ष 1960 में, मालिक को इस आधार पर पांच साल के लिए पट्टा विलेख निष्पादित करने के लिए मजबूर किया गया था कि उपायुक्त के आवास का निर्माण किया जाना था।निर्माण पूरा होने के बाद, निपटान अधिकारी को परिसर पर कब्जा करने के लिए कहा गया।छह महीने के भीतर उन्होंने पद छोड़ दिया था।फिर भी उपायुक्त ने परिसर खाली नहीं किया।इसके अलावा, किराए की प्रचलित दर 86 रुपए प्रति माह का याचिकाकर्ता को भुगतान भी नहीं किया गया था।वर्ष 1989 में, जब उन्होंने कार्यवाही शुरू की, तो अधिकारियों ने सीमा के आधार पर केवल तीन साल (लगभग 20 वर्षों में से) की अवधि के लिए किराया दिया।इसके बाद, याचिकाकर्ता को समय-समय पर किराए के भुगतान के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा।उसे स्वेच्छा से भुगतान नहीं किया गया था।जैसा कि पहले ही देखा गया है, लिखित बयान में, प्रतिवादीगण की ओर से ली गई याचिका यह है कि "याचिकाकर्ता ने प्रत्यर्थी हरियाणा राज्य के खिलाफ गैर-भुगतान के आधार पर कई बेदखली आवेदन भी दायर किए थे और प्रत्यर्थी राज्य सरकार किराया नियंत्रक, हिसार की अदालत में कानून के अनुसार स्वीकार्य देय किराया आदि दे रही है।" स्पष्ट रूप से, राज्य ने उससे भी बदतर तरीके से कार्य किया है जिसमें एक साधारण वादी भी व्यवहार करता है।हम राज्य के आचरण की सराहना नहीं कर सकते।यह सबसे निचले स्तर पर अनुचित और मनमाना था।यह सत्ता का दुरुपयोग था।एक सार्वजनिक प्राधिकरण सार्वजनिक भलाई के लिए कार्य करने में विफल रहा।

- याचिकाकर्ता के वकील का कहना है कि पिछले कई वर्षों से कुछ भी भुगतान नहीं किया गया है।किराया नियंत्रक द्वारा निर्धारित दर पर भी नहीं।

- परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए, हम संतुष्ट हैं कि यह एक उपयुक्त मामला है जहां याचिकाकर्ता को प्रतिपूरक लागत दी जानी चाहिए।हम 1 लाख रुपये की लागत का आकलन करते हैं। इसका भुगतान प्रतिवादी राज्य हरियाणा द्वारा याचिकाकर्ता को किया जाएगा। तदनुसार रिट याचिका की अनुमति दी जाती है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

जसप्रीत कौर
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
हिसार, हरियाणा